न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्या: 495/2020

1. हनुमान पुत्र रूडाराम जाति जाट, निवासी: हरनाथपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. खेमाराम पुत्र रूडाराम जाति जाट, निवासी: हरनाथपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र रूडाराम
2. भूरी पत्नि भूराराम
3. भगवान सहाय पुत्र भूराराम
4. दयाल पुत्र भूराराम
5. सुवालाल पुत्र भूराराम
6. लालचन्द पुत्र भूराराम
7. प्रेम पुत्री भूराराम
8. सरजू पुत्री भूराराम
9. मनभरी पुत्री भूराराम
10. सजना पुत्री भूराराम
11. मकली पुत्री भूराराम
    समस्त जाति जाट, निवासी हरनाथपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

.......रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 19.11.2020 न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 53/2019 उनवान हनुमान व अन्य बनाम नारायण व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

उपस्थित:

प्रकाश यादव एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
कृष्ण कुमार पारीक एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट् सं. 1

निर्णय दिनांक: 09/9/2021

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा वाद पत्र संख्या 53/2019 बउनवानी हनुमान व अन्य बनाम नारायण व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 19.11.2020 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वर्गीय रूडाराम के वंशज है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे, काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नंबर 51 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा ग्राम हरनाथपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीगण 2/12 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 नारायण 1/12 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 12 जो भूराराम के वारिस है 1/12 हिस्से के संयुक्त खातेदार है और इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अकेले भूराराम के नाम गलत अंकित हो गयी थी जिसका स्वर्गवास होने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 11 जो उसके वारिस है जब कि मौके पर उपरोक्त हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। भूराराम का या उसके वारिसों का कभी 1/3 हिस्से पर कब्जा नहीं रहा है न वर्तमान में है। इसी प्रकार खसरा नंबर 18/2 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 19 रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा ग्राम हरनाथपुरा, तहसील रेनवाल में स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में 4/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है किन्तु उक्त सम्पूर्ण आराजी में 2/10 हिस्से में वादीगण एवं 1/10 हिस्से में नारायण एवं 1/10 हिस्से पर प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 11 जो भूराराम के वारिस है, काबिज काश्त चले आ रहे है, संपूर्ण 4/10 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 नारायण का कभी कब्जा नहीं रहा न वर्तमान में है अपितु उपरोक्त हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार खसरा नंबर 27 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा की आराजी वाके ग्राम हरनाथपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है जिसमें 1/3 हिस्सा वादी सं. 2 खीमाराम के नाम अंकित है जबकि मौके पर संपूर्ण आराजी में 2/12 हिस्से पर वादीगण 1/12 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 एवं 1/12 हिस्से पर प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 11 जो भूराराम के वारिस है काबिज काश्त चले आ रहे है, अकेले वादी खीमाराम का संपूर्ण 1/3 हिस्से पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा न वर्तमान में है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दिनांक 15.06.2004 को खसरा नंबर 51 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा की अकेले भूराराम के नाम एवं खसरा नंबर 18/2, 19 किता 2 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा अकेले प्रतिवादी सं. 1 नारायण के नाम एवं खसरा नंबर 27 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा अकेले खीमाराम के नाम अंकित थी जो गलत थी जब उक्त वर्णित हिस्सों में हनुमान, खीमाराम, नारायण एवं स्व. भूराराम पि. रूडाराम चारो समान भाग के हकदार थे उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं स्व. भूराराम द्वारा ही अर्जितशुदा है, भूराराम का स्वर्गवास हो चुका है उसके वारिस प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 12 है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में खसरा नंबर 51 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा में 1/3 हिस्से का अकेले भूराराम के नाम एवं खसरा नंबर 18/2, 19 किता 2 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा में 4/10 हिस्से की खातेदारी अकेले प्रतिवादी सं. 1 नारायण के नाम एवं खसरा नंबर 27 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा अकेले वादी सं. 2 खीमाराम के नाम अंकित हो गयी जबकि उपरोक्त वर्णित दर्ज हिस्सों में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व स्व. भूराराम यानि हनुमान, खीमाराम, भगवानसहाय एवं भूराराम पि. रूडा चारो समान भाग के हकदार है और चारो समान भाग पर काबिज काश्त चले आ रहे है, भूराराम के स्वर्गवास बाद उसके वारिसान उसके हिस्से के हकदार है व काबिज है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी खसरा नंबर 51 की अकेले भूराराम के नाम 1/3

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हिस्सा एवं खसरा नंबर 18/2, 19 की अकेले नारायण के नाम 4/10 हिस्से की एवं खसरा नंबर 27 अकेले खीमाराम के नाम दर्ज हो जाने एवं मुताबिक कब्जे अनुसार खातेदारी अंकन न होने पर पक्षकारान ने एक वाद उनवानी हनुमान बनाम भूराराम वाद सं. 80/2004 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर के यहां दायर किया गया। उपरोक्त वाद हनुमान बनाम भूराराम में भूराराम, खीमाराम, नारायण ने दिनांक 12.07.2004 को राजीनामा पेशकर उक्त दर्ज हिस्सों में हनुमान, भूराराम, खीमाराम, नारायण पि. रूडाराम चारो का समान हिस्सा होना स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया जो दिनांक 12.07.2004 को तस्दीक किया जाकर वाद 31.08.2004 को डिक्री किया गया और खसरा नंबर 51 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा में भूराराम के दर्ज 1/3 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को समान भाग यानि प्रत्येक को 1/12, 1/12 हिस्से एवं खाता सं. 21 की आराजी खसरा नंबर 18/2 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 19 रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा किता 2 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 3 नारायण के दर्ज 4/10 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 को समान भाग यानि प्रत्येक को 1/10, 1/10 हिस्से का व खाता सं. 35 की आराजी खसरा नंबर 27 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 2 खीमाराम के दर्ज 1/3 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को समान भाग यानि प्रत्येक को 1/12, 1/12 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया गया और इसी अनुसार वाद डिक्री किया गया। उक्त डिक्री अनुसार दिनांक 31.08.2004 को डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु लिखे जाने का आदेश पारित कर दिया गया और डिक्री अनुसार मौके पर खसरा नंबर 51 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा में वादीगण 2/12 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 नारायण 1/12 हिस्से पर व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 जो भूराराम के वारिस है 1/12 हिस्से पर एवं खसरा नंबर 18/2, 19 किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा में वादीगण 2/10 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 नारायण 1/10 हिस्से पर व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 11 जो भूराराम के वारिस है, 1/10 हिस्से पर एवं खसरा नंबर 27 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा में वादीगण 2/12 हिस्से में एवं प्रतिवादी सं. 1 नारायण 1/12 हिस्से पर व प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 11 हिस्सा 1/12 पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। पटवारी हल्का ने निर्णय/डिक्री दिनांक 31.08.04 वाद उनवानी हनुमान बनाम भूरा का रिकॉर्ड में अमल नहीं किया जिसकी जानकारी वादीगण शिक्षित न होने व कानून से अनभिज्ञ होने के कारण उक्त डिक्री की पालना की जानकारी नहीं हुई तथा खातेदारी पूर्व की तरह दर्ज होती रही हालांकि उक्त डिक्री बाद चारो भाईयों में कोई विवाद नहीं हुआ और डिक्री अनुसार काबिज चले आ रहे है किन्तु भूराराम के स्वर्गवास बाद प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 11 के नाम खसरा नंबर 51 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी 1/3 हिस्से की अकेले भूराराम के नाम अंकित होने से उसके वारिसों की नियत खराब हो गई है और वह उक्त पारित डिक्री के विरूद्व वादीगण के हिस्से से इंकार करने लगे है एवं दिनांक 17.07.2019 को भूराराम के दर्ज हिस्से का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाकर आराजी बेचान करने एवं वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी व वादीगण के अधिकारों से इन्कार किया ऐसी स्थिति में यह वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

खसरा नंबर 51 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके हरनाथपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल में मुतसफी भूराराम पुत्र रूडा के दर्ज 1/3 हिस्से की बजाय सम्पूर्ण आराजी में वादीगण 2/12 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं. 1 नारायण 1/12 हिस्से एवं प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 11 जो भूरा के वारिस है 1/12 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं खसरा नंबर 18/2, 19 किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा वाके हरनाथपुरा में प्रतिवादी सं. 1 नारायण के दर्ज 4/10 हिस्से की बजाय वादीगण 2/10 हिस्से एवं नारायण 1/10 प्रतवादीगण सं. 2 लगायत 11 जो भूरा के वारिस है 1/10 हिस्से के एवं खसरा नंबर 27 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके हरनाथपुरा में वादी सं. 2 खीमाराम के दर्ज 1/3 हिस्से की बजाय सम्पूर्ण आराजी में वादीगण 2/12 हिस्से के नारायण 1/12 हिस्से का प्रतिवादी 2 लगायत 11 जो भूरा के वारिस है 1/12 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं मौजूदा रिकॉर्ड में जो भूरा का 1/3 एवं नारायण का 4/10 एवं खीमाराम का 1/3 हिस्सा अंकित है हजफ फरमाया जाकर डिक्री अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 51, 18/2, 19, 27 ग्राम हरनाथपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल में वादीगण के हिस्से में कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में बाधा कारित न करे, न बेदखल करे न अन्य से करावे व किसी भाग पर कब्जा न करे, न किसी अन्य से करावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं धारा 11 सी. पी.सी. प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 11 सी.पी.सी. पर वकील पक्षकारान की बहस सुनकर, बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 19.11.2020 के माध्यम से विचाराधीन वाद एवं पूर्ववत वाद संख्या 80/2004 में आराजीयात, पक्षकार एवं अनुतोष समान होने एवं विचाराधीन वाद पर रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने का अभिमत व्यक्त करते हुए वादी वाद खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में वाद संख्या 80/2004 पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर दिनांक 31.08.2004 को डिक्री किया गया था। वर्तमान वाद में वाद वाद कारण नया है इस कारण धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान वर्तमान वाद पर पर लागू नहीं होते है। पूर्व में प्रस्तुत वाद अंतिम रूप से वादी के पक्ष में डिक्री किया गया था। वर्तमान वाद में विवादक बिन्दु, वाद कारण एवं पक्षकार अलग-अलग है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय को जवाब दावा के पश्चात् विवादक बिन्दु कायम कर, साक्ष्य लेकर, तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था। पूर्ववत वाद पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादी हनुमान के पक्ष में डिक्री किया गया था। भूरा पुत्र रूडा द्वारा बैंक से लोन लिया जाता रहा एवं भूरा के वारिसान द्वारा भी अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने की कोशिश की जाती रही है, इस कारण से प्रकरण में नया वाद कारण उत्पन्न हुआ है। पूर्ववत वाद एवं वर्तमान वाद में वाद कारण, पक्षकार असमान है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर ध्यान न देकर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय गलत पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2020 खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में वाद संख्या 80/2004 उनवानी हनुमान बनाम भूरा वगैराह को दिनांक 31.08.2004 को अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया था। पूर्ववत वाद एवं वर्तमान वाद में विवादग्रस्त आराजी, पक्षकार समान है एवं समान अनुतोष हेतु ही वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद पत्र एवं अपील मीमों में भी स्वीकार किया है। वर्तमान वाद एवं पूर्ववत वाद में पक्षकार, वादग्रस्त आराजी एवं अनुतोष समान है इस कारण प्रकरण पर धारा 11 सी.पी.सी. के तहत् रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलान्ट/वादी द्वारा वर्तमान वाद में वाद कारण गलत बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववत वाद एवं वर्तमान वाद का गहन विश्लेषण कर दोनों वाद पत्रों में पक्षकार, वादग्रस्त आराजी एवं अनुतोष समान होना पाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी गलत आधारों पर प्रस्तुत होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवम् अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसके पैरा संख्या 7 में स्वयं वादी द्वारा यह अंकित किया गया है कि वादी संख्या 1 स्वयं द्वारा पूर्व में वाद संख्या 80/2004 उपखण्ड अधिकारी सांभर के समक्ष दायर किया गया था जिसमें वर्तमान वाद से सम्बन्धित आराजीयात के सन्दर्भ में घोषणा चाही गई थी एवम् चाही गई घोषणा के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवम् प्रतिवादीगण को प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद डिक्री किया गया। इन्हीं सन्दर्भित आराजीयात एवं पक्षकारान् के सन्दर्भ में वादी द्वारा यह द्वितीय वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण के उपस्थित होने पर प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि इन्हीं आराजीयात के सन्दर्भ में वादी द्वारा पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 80/2004 उनवानी हनुमान बनाम भूरा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 31.08.2004 को अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया। अतः इन्हीं आराजीयात के सन्दर्भ में इन्हीं पक्षकारों के मध्य यह द्वितीय वाद धारा 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में संधारणीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में बहस अभिभाषक पक्षकारान् समायत की जाकर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है जिसमें अपीलार्थी द्वारा मात्र वाद दायर के नवीन तथ्य यह जाहिर किया है कि पूर्व वाद भूराराम के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था एवम् भूराराम का स्वर्गवास हो जाने से उसके वारिसान् को पक्षकारान बनाकर यह नवीन वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पूर्व किसी वाद के पक्षकार के सन्दर्भ में निर्णय पारित हो जाने के पश्चात् वह निर्णय उसके वारिसान् के सन्दर्भ में भी प्रभावकारी होता है एवम् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के मनन से यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा वही समान अनुतोष चाहा गया है जो पूर्व वाद में चाहा गया था एवम् जिसके अनुसार ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व वाद का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया था। अतः अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नवीन वाद के माध्यम से वादी द्वारा कोई नवीन अनुतोष प्राप्त किया जाना शेष ही नहीं रहता है। अपीलान्ट्स/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद, धारा 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने से, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किये जाने का निर्णय, उचित पारित किया है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2020 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09/9/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)